Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **उदयपुर में आबकारी निरीक्षक एवं प्रहराधिकारी 25 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *06 जनवरी।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की उदयपुर इकाई द्वारा आज गुरूवार कार्यवाही करते हुये गोपीलाल आबकारी निरीक्षक, वृत–मावली, उदयपुर एवं महेन्द्र कुमार प्रहराधिकारी, आबकारी थाना–मावली, जिला उदयपुर को परिवादी से 25 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की उदयपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके लाईसेंसशुदा शराब की दुकान को निर्बाध रूप से चलने देने की एवज में गोपीलाल आबकारी निरीक्षक, वृत–मावली, उदयपुर एवं महेन्द्र कुमार प्रहराधिकारी, आबकारी थाना–मावली, जिला उदयपुर द्वारा अपने स्वयं के तथा विभाग के अन्य अधिकारियों के लिये मासिक बन्धी के रूप में रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी उदयपुर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उमेश ओझा** द्वारा शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री रतन सिंह राजपुरोहित** एवं उनकी टीम के साथ ट्रेप कार्यवाही करते हुये गोपीलाल पुत्र श्री चुनाजी सोलंकी निवासी ग्राम बागरा तहसील एवं जिला जालौर हाल आबकारी निरीक्षक, वृत–मावली, उदयपुर एवं महेन्द्र कुमार पुत्र श्री सुल्तान सिंह जाट निवासी सेजरा गुवार, तहसील खेतड़ी जिला झुंझूनुं हाल प्रहराधिकारी, आबकारी थाना–मावली, जिला उदयपुर को परिवादी से 25 **हजार रूपये की रिश्वत** राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भूमिका की जाँच की जा रही है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।